तारीख हुक्म	188/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कपोड़मल / प्रेमचन्द	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
29-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष एवं वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण केस का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपनी निष्पादन में जारी अस्थिर निषेधाज्ञा के प्रमाण 242-160 ओ.डी. के विपक्ष वाद स्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली वाद दायर होने तक अस्थिर रहेगा। अस्थिर निषेधाज्ञा पत्रावली वाद के समाप्त होने तक	

उप जिला कलेक्टर
[illegible] (राज.)